-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

➢ **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित 06 लाख 02 हजार रुपये की सम्पत्ति को किया गया कुर्क । पुर्व में अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित 76 लाख 41 हजार 05 सौ रुपये की सम्पत्ति को किया जा चुका है कुर्क ।**

विवरण- प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 10.11.2024 को थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम करतल के रहने वाले अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई 06 लाख 02 हजार रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है । अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट, हत्या तथा अपहरण जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत हैं । अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना प्रभारी थाना कालिंजर श्री ऋषिदेव सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी । मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 30.11.2023 को अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी कि अवैध संपत्ति कि कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे । गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.05.2024 को अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 76 लाख 41 हजार 05 सौ रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है तथा आज दिनांक 10.11.2024 को अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 06 लाख 02 हजार रुपए की अवैध सम्पत्ति को जब्त किया गया है ।

अभियुक्त का विवरण -

1. शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी निवासी ग्राम करतल, थाना नरैनी, जनपद बांदा ।

अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी की जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण-

1. ट्रैक्टर UP90 S 1778 - कीमत लगभग 06 लाख 02 हजार रुपये ।

पुर्व में जब्त अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण-

1.मकान/जमीन - कीमत लगभग 75 लाख 85 हजार 05 सौ रुपये ।

2.मोटरसाईकिल सीबी साइन UP 90 Q 6624 - कीमत लगभग 56 हजार रुपये ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी-

1. मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना नरैनी जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0 71/21 धारा 302/201/34 भा0द0वि0 थाना नरैनी जनपद बांदा ।
3. मु0अ0सं0 219/18 धारा 379/411 भा0द0वि0 व 26 वन अधिनियम थाना नरैनी जनपद बांदा ।

कुर्की करने वाली टीम -

1. नायब तहसीलदार हेमन्त सिंह पटेल
2. प्रभारी निरीक्षक कालिंजर श्री दिपेन्द्र कुमार सिंह
3. प्रभारी निरीक्षक नरैनी श्री राम मोहन राय
4. प्रभारी निरीक्षक नरैनी श्री राम मोहन राय
5. निरीक्षक अपराध नरैनी श्री राम किशोर सिंह
6. आरक्षी सत्यम गुर्जर
7. आरक्षी सतीश कुमार
8. आरक्षी अनुभव